स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(घ) "परिवार का तात्पर्य"– (एक) सेवा के सदस्य का, यथास्थिति पति या पत्नी, और (दो) माता–पिता, बच्चे, सौतेले बच्चे, अविवाहित/तलाकशुदा/परित्यक्त पुत्री, अविवाहित/ तलाकशुदा/परित्यक्त बहनें ,अवयस्क भाई, सौतेली माता	(घ) "परिवार" का तात्पर्य:– (एक) सेवा के सदस्य का, यथा स्थिति, पति या पत्नी, और (दो) माता–पिता, बच्चे, सौतेले बच्चे, अविवाहित/तलाकशुदा/परित्यक्त पुत्री, अविवाहित/ तलाकशुदा/परित्यक्त बहनें, अवयस्क भाई और सौतेली माता से है, जो सरकारी सेवक पर पूर्णतः आश्रित है और सामान्यतया सरकारी सेवक के साथ निवास कर रहे हैं। **टिप्पणी–1** किसी परिवार के ऐसे सदस्यों, जिनकी उपचार आरम्भ होने के समय पर सभी स्रोतों से आय रू0–3500/– और रू0–3500/– प्रतिमाह की मूल पेंशन पर अनुमन्य मंहगाई के योग से अधिक न हो, को पूर्णतया आश्रित माना जाएगा। **टिप्पणी–2** आश्रितों के लिये आयु सीमा निम्नवत् होगी:– (1) पुत्र– सेवायोजित हो जाने या 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने या विवाहित हो जाने तक, जो भी पहले हो। (2) पुत्री– सेवायोजित हो जाने या विवाहित हो जाने तक, जो भी पहले हो। (3) ऐसा पुत्र जो मानसिक या शारीरिक स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त हो– जीवन पर्यन्त (4) तलाकशुदा/पति से परित्याजित/ विधवा आश्रित पुत्रियॉ और अविवाहित/ तलाकशुदा/पति से परित्याजित विधवा आश्रित बहनें–जीवन पर्यन्त (5) अवयस्क भाई– वयस्कता प्राप्त करने तक।
(झ)	(झ) (एक) 'सरकारी चिकित्सालय' का तात्पर्य राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे या किसी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय से सहबद्ध चिकित्सालय से है, (दो) 'प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों का तात्पर्य ऐसे चिकित्सालयों से है, जिनसे सी.जी.एच.एस. (केन्द्रीयित सरकारी स्वास्थ्य सेवायें) की दरों के सम मूल्य पर उपचार उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार द्वारा संविदा की गई है।

नियम 4 का प्रतिस्थापन।

3–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम–4 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
निःशुल्क चिकित्सा सेवाओं की हकदारी सभी लाभार्थी किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय में निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या और उपचार पाने के हकदार होंगे। सामान्यतः यह सुविधा लाभार्थी के निवास या तैनाती के स्थान पर उपलब्ध करायी जायेगी। चिकित्सा परिचर्या और उपचार के लिये पंजीकरण फीस और अन्य विहित फीस सरकार द्वारा पूर्णतया प्रतिपूरित की जायेगी। आपात मामले में, यदि परिस्थितियों की अपेक्षा हो तो, एम्बुलेंस भी निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।	निःशुल्क चिकित्सा सेवाओं की हकदारी 4–समस्त लाभार्थी किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय या प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या और उपचार पाने के हकदार होगे। सामान्यतया यह सुविधा लाभार्थी के निवास या तैनाती के स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी। चिकित्सा परिचर्या और उपचार के लिए पंजीकरण फीस और अन्य विहित फीस सरकार द्वारा पूर्णतया प्रतिपूरित की जायेगी। आपात मामलों में, यदि परिस्थितियों की अपेक्षा हो तो, एम्बुलेन्स भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी।